समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 09 September 2026

लोक अदालत मे ट्रैफिक चालान माफ़ी का सुनहरा मौका, आज निपटेगें लाखों छोटे-मोटे मामले

Publisher

Published on 13 Sep 2025

आज पूरे देश में **नेशनल लोक अदालत** का आयोजन हो रहा है, जो आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो छोटे-मोटे ट्रैफिक चालानों की वजह से परेशान हैं। इस बार लोक अदालत में ऐसे चालानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें केवल मामूली उल्लंघन हुए हैं — जैसे कि हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्नल पर हल्की गलती, या पार्किंग से जुड़ी छोटी ग़लतियाँ।

लोक अदालत की खासियत यह है कि इसमें मामले जल्दी निपटाए जाते हैं और पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। आज का यह आयोजन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकता है।

लोक अदालत, न्याय व्यवस्था का एक वैकल्पिक मंच है, जहाँ मामलों का समाधान आपसी सहमति और त्वरित सुनवाई से किया जाता है। यहाँ अदालत की तरह लंबी सुनवाई नहीं होती और न ही भारी वकीली खर्च करना पड़ता है। यह आम जनता को त्वरित और सस्ता न्याय देने का एक प्रभावी साधन है।

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) और राज्य स्तरीय कानूनी सेवा प्राधिकरण मिलकर समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन करते हैं।

इस लोक अदालत में विशेष रूप से **ट्रैफिक चालानों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हेलमेट न पहनने पर चालान सीट बेल्ट न लगाने पर चालान लाल बत्ती कूदने पर चालान गलत पार्किंग के मामले स्पीड लिमिट से थोड़ा ऊपर जाने पर लगे चालान इन सभी मामूली उल्लंघनों के चालानों में लोगों को छूट या पूरी तरह माफी मिल सकती है।

हालांकि, **गंभीर अपराध** जैसे – नशे में गाड़ी चलाना, खतरनाक ड्राइविंग से दुर्घटना, ओवरलोडिंग या हिट एंड रन केस – लोक अदालत में नहीं निपटाए जाएँगे।

जो लोग अपने चालानों को लेकर परेशान हैं, वे सीधे नजदीकी अदालत या लोक अदालत परिसर में जाकर अपना चालान निपटा सकते हैं। कई जगहों पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी गई है। अदालत में केस दर्ज होने की जरूरत नहीं। मौके पर ही सुनवाई और निपटारा। चालान की रकम में छूट या पूरी तरह माफी। भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचाव। इससे नागरिकों को समय, पैसा और ऊर्जा – तीनों की बचत होगी।

पिछले साल आयोजित लोक अदालत में केवल ट्रैफिक चालानों से जुड़े **25 लाख से अधिक मामले** निपटाए गए थे। इस बार भी उम्मीद है कि देशभर में लाखों लंबित चालानों का निपटारा किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में सबसे अधिक संख्या में मामले निपटाए जाने की संभावना है।

कई लोग इसे सरकार और न्यायपालिका की एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं।

- **राहुल (दिल्ली निवासी):** "मेरा ₹2,000 का चालान हेलमेट न पहनने पर हुआ था। लोक अदालत की वजह से मुझे इसे आधी रकम में निपटाने का मौका मिला। यह बहुत बड़ी राहत है।"
- **रीना (लखनऊ निवासी):** "अक्सर लोग चालान भरने से बचते हैं और डरते हैं कि मामला लंबा खिंच जाएगा। लोक अदालत ने इस डर को दूर किया है।"

ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि लोक अदालत केवल चालान माफी का मंच नहीं है बल्कि यह लोगों को **नियमों के प्रति जागरूक करने का अवसर** भी है। चालान निपटाने के बाद नागरिकों को दोबारा वही गलती न करने की हिदायत भी दी जाएगी।

कुछ आलोचकों का कहना है कि बार-बार ऐसे कार्यक्रम चलाने से लोग ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से नहीं लेंगे और सोचेंगे कि भविष्य में चालान माफ हो जाएगा। हालांकि, प्रशासन का तर्क है कि यह कदम केवल backlog खत्म करने और नागरिकों को राहत देने के लिए है।

नेशनल लोक अदालत का आज का आयोजन आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। लाखों लोग जिनके छोटे-मोटे चालान महीनों से लंबित थे, अब उन्हें छूट या माफी का मौका मिल रहा है। इससे न केवल अदालतों का बोझ कम होगा बल्कि लोगों को त्वरित न्याय भी मिलेगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.